शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री रघुविन्दर शोकीन

दिनांक : 03.12.2019

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 162

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या डी.एम.सी. एक्ट के सेक्शन 329 के अनुसार स्ट्रीट लाइट लगाने और रख–रखाव की जिम्मेदारी एम.सी.डी. की है;	जी हां ।
ख	नांगलोई विधान सभा क्षेत्र में 2015 से अभी तक विभिन्न विभागों द्वारा किन–किन कालोनियों में कितनी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं एवं वर्तमान में कितनी स्ट्रीट लाइट चालू स्थिति में हैं; और	उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार नांगलोई विधान सभा क्षेत्र में 2015 से अभी तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा जी एच 5 और 7 पश्चिम विहार, मिया वाली नगर, पीरागडी गांव, अम्बिका विहार, एल आई सी कालोनी और ज्वालापुरी इत्यादि के नगर निगम अधिकृत क्षेत्र में 495 स्ट्रीट लाइट लगाई है एवं वर्तमान में सभी लाइट चालू स्थिति में है एवं इन का रख–रखाव टी पी डी डी एल द्वारा किया गया है ।
ग	जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहाँ पथ–प्रकाश के लिए दिल्ली सरकार द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं; और	लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग की सभी सड़को पर स्ट्रीट लाइटस की व्यवस्था है ।
घ	नांगलोई विधान सभा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट के ऊपर अब तक हुए व्यय का पूर्ण विवरण दें ?	1 नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार नांगलोई विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 29.05 लाख का व्यय हुआ । 2 लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नांगलोई विधानसभा क्षेत्र में 2015 से अभी तक लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाईटस पर रूपये 344 लाख खर्च किये गये है ।

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02